दिनांक 25 मार्च, 2021 को आयोजित एनसीवीईटी की राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति(एनएसक्यूसी) की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की सातवीं बैठक श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 25 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-। पर है।

2. बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

कार्यसूची मद सं.1: एनएसक्यूसी की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति ने दिनांक 25 फरवरी, 2021 को आयोजित एनएसक्यूसी की छठी बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद सं.2क: एनएसक्यूसी की छठी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट

4. समिति को एनएसक्यूसी की छठी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया गया था। अनुपालन के संबंध में सशर्त अनुमोदित फाइलों की स्थिति **अनुबंध-॥ (क)** पर है।

5. 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट' के पैरा-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) क्र.सं. 2क(1क):प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) यह सूचित किया गया था कि वुड एंड कारपेंटरी सेक्टर की सशर्त अनुमोदित अर्हता फाइल (क्यूएफ) अर्थात् 'सीएनसी वुड वर्किंग एंड मशीनिंग आपरेटर' के संबंध में अनुपालन प्राप्त हो गया है और एनक्यूआर पर अपलोड कर दिया गया है।

(ख) क्रम सं. 2क (1ख): दिव्यांगों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी): यह सूचित किया गया था कि 74 एससीपीडब्ल्यूडी की सशर्त अनुमोदित अर्हताओं में से 39 अर्हताओं में डोमेन एसएससी की सहमति प्राप्त हो गई है और एनक्यूआर पर अपलोड

कर दी गई है। शेष 35 अर्हताओं के लिए सहमति लंबित थी। समिति ने इस मामले को नोट किया।

(ग) **<u>क्र.सं.2क(1ग.): नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स/नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएच/एनएबीएल) द्वारा एनसीवीईटी अनुमोदित अर्हताओं की मान्यता:</u>** समिति को सूचित किया गया था कि हेल्थकेयर एसएससी से उत्तर प्रतीक्षित है। डॉ. संगीता रेड्डी ने एनएबीएच/एनएबीएल के लिए एनसीवीईटी अर्हताओं के पैपिंग के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की है और इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(घ) **<u>क्रम सं. 2क(1घ): हेल्थकेयर सेक्टर से संबंधित निष्क्रियकृत पाठ्यक्रमों का सत्यापन:</u>** समिति को यह सूचित किया गया था कि 'विज़न टेक्निशियन' अर्हता दिनांक 9 दिसंबर, 2019 को निष्क्रिय की गई थी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), हेल्थकेयर एसएससी और शिक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि कोई नए प्रवेश किसी भी निष्क्रियकृत अर्हता में न किए जाएं। उपर्युक्त अर्हता एक रिट याचिका के संदर्भ में भी है जिसमें दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि हेल्थकेयर और आई केयर सेक्टर से संबंधित सभी अर्हताएं कानून, नियमों, विनियमों और सरकार की नीतियों के अनुसार शुरु की जानी हैं। तथापि, विद्यालय शिक्षा विभाग ने यह सूचित किया था कि कुल 219 छात्र 2017 से हरियाणा राज्य में अर्हता में अभी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं और यह सत्र मार्च, 2021 में पूरा हो रहा है। समिति ने इस मामले का संज्ञान लिया और निम्नलिखित कारणों से एक विशेष मामले के रूप में पाठ्यक्रम - विजन टेक्निशियन में इस बैच को जारी रखने का सत्यापन किया:

(i) यह पाठ्यक्रम 2017 में अर्थात 2019 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व आरंभ हुआ था और इस पाठ्यक्रम को निलंबित करने से उन विद्यालयी छात्रों के हित पर बाधा पड़ेगी जो पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्राप्त होने से पूर्व 4 वर्ष के लिए यह पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

(ii) निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग ने पुष्टि की कि यह पाठ्यक्रम 2017 में आरंभ हुआ था और मार्च, 2021 तक समाप्त होगा तथा उसके बाद और किसी पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>कार्यसूची मद सं.2ख: एनएसडीए के तहत एनएसक्यूसी की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही रिपोर्ट (27 फरवरी, 2020)</u>

(क) **<u>क्रम सं. (1क) एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं</u>**

<u>प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)</u>: दिनांक 27 फरवरी, 2020 को आयोजित एनएसक्यूसी (एनएसडीए के तहत) की 24वीं बैठक में हेल्थकेयर सेक्टर से संबंधित तीन अर्हताएं अर्थात- (i) 'हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर (सीटीएस)', (ii) 'हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट (सीटीएस)', और (iii) 'जेरिएट्रिक ओल्ड ऐज केयर (सीटीएस)' स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की सहमति के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित परिवर्तनों पर सहमति दी है और इन तीन अर्हताओं के संदर्भ में अनुपालन डीजीटी द्वारा पूरा कर दिया गया है।

तथापि, यह मामला समिति के समक्ष रखा गया था क्योंकि यह एक वर्ष से अधिक पुराना था तथा हेल्थ सेक्टर से संबंधित था। समिति ने इसका सत्यापन किया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित करने का निर्देश दिया कि डीजीटी द्वारा इन तीन अर्हताओं में अनुपालन पूरा कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि तीसरी अर्हता - ' जेरिएटिक (ओल्ड ऐज केयर) - सीटीएस' के संदर्भ में उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। समिति ने आयु सीमा मानदंड को बदलकर 16 वर्ष करने का निर्देश दिया और इस पर महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भी सहमति दी गई थी । अत: 2 अर्हताएं अनुमोदित की गई थी और तीसरी अर्हता अर्थात –'जेरिएटिक ओल्ड ऐज केयर (सीटीएस)' विधिवत् संशोधित अर्हता प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित की गई थी।

अर्हताओं की सूची **अनुबंध-II (ख) पर रखी है।**

<u>कार्यसूची मद सं. 3: एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए अर्हताओं का प्रस्तुत किया जाना</u>

6. यह सूचित किया गया था कि दिनांक 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2021 तक कुल 31 अर्हताएं (13 नई और 18 संशोधित) प्राप्त हुई थी। डेस्क जांच के बाद 31 अर्हताओं में से केवल 19 अर्हताओं पर विचार किया गया था और शेष अर्हताओं को उचित तर्क के साथ संबंधित प्रस्तुत करने वाले संगठनों को लौटा दिया गया था। 11 अर्हताओं के लिए हितधारकों के परामर्श लिए गए थे। एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए विचार की गई सभी अर्हताओं का संक्षिप्त विवरण समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

7. एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक में विचार की गई अर्हताओं के अनुमोदन स्तर का एक समेकित विवरण अनुबंध-III(क) पर रखा है और अर्हता-वार स्तर अनुबंध-III(ख) पर है। लिए गए निर्णय नीचे दिए गए हैं:-

<u>केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं</u>

8. **<u>प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी):</u>** एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए डीजीटी द्वारा दो नई अर्हताएं प्रस्तुत की गई थी। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) एप्रिंटिशिप प्रशिक्षण के लिए बीएफएसआई क्षेत्र में अर्हता 'वित्त सहायक (एटीएस)' को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) एप्रिंटिशिप प्रशिक्षण के लिए कैपिटल गुड्स सेक्टर में अर्हता 'आर्मर वेल्डर (एटीएस)' को प्रवेश आवश्यकता मानदंड में न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष जोड़कर परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था।

9. **<u>वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् - केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई):</u>** चर्म क्षेत्र में सात (07) नई अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

(क) एक अर्हता - 'चर्म उत्पाद प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम' अनुमोदित किया गया था।

(ख) पांच अर्हताओं, 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर लैदर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज', 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन फार लैदर सेक्टर', शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फॉर लैदर सेक्टर, 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम इन लैदर अपहोलस्टरी मैनुफैक्चर' और 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव स्किल डवलेपमेंट प्रोग्राम इन क्लिनर लैदर प्रोडक्शन' को निम्नलिखित संशोधन के अध्यधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

(i) चमड़ा उद्योग/अपहोलस्टेरी में पृष्ठभूमि जानकारी के साथ बी-टेक/इंजीनियरिंग/साईंस में स्नातक डिग्री अथवा चमड़ा उद्योग में 2 वर्ष के अनुभव के साथ 12वीं पास को प्रवेश आवश्यकता।

(ii) एनएसक्यूएफ लेवल 4 पर लगाया जाए।

(ii) न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) इसके अतिरिक्त 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन लैदर एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर' अर्हता को निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया गया था:

(i) नाम में परिवर्तन करके 'स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लैदर एंड लैदर-लाइक मैटिरियल्स फॉर इमरर्जिंग इंटरप्रेनियर्स'।

(ii) एनएसक्यूएफ लेवल 4 पर लगाया जाए।

(iii) 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन लैदर एंड लैदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर' अर्हता की प्रगति को चमड़ा उद्यमी/स्व-रोजगार में परिवर्तित करना।

<u>सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं</u>

10. **<u>घरेलू कामगार एसएससी:</u>** घरेलू कामगार एसएससी के संबंध में 4 संशोधित अर्हताएं एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थी। एनएसक्यूसी ने सुझाव दिया कि ये अर्हता अर्थात **'हाउसकीपिंग कम कुक'** और **'जनरल हाउसकीपर'** घरेलू और लघु स्थापना आधारित रोजगार पर प्रमुख रूप से जोर देती हैं न कि आतिथ्य सत्कार क्षेत्र आधारित, अत: इन अर्हताओं में स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए ताकि रोजगार प्रदाता भर्ती करते समय एक सूचित निर्णय ले सकें। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि इन अर्हताओं के लिए औपचारिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र को लाने के लिए बहु-कौशल पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, दो अर्हताओं अर्थात **'चाइल्ड केयरटेकर (नॉन-क्लिनिकल)'** और **'एल्डरली केयरटेकर (नॉन-क्लिनिकल)'** के लिए समिति ने हेल्थकेयर के साथ संपर्क दर्शाने वाले व्यवसाय और प्रगति और 'नॉन-क्लिनिकल' शब्द पर जोर देने को हटाने की सिफारिश की। एनएसक्यूसी ने निम्नलिखित संशोधनों को शामिल किए जाने के अध्यधीन 4 संशोधित अर्हताओं को सशर्त अनुमोदित किया:

(क) <u>हाउसकीपर कम कुक:</u> कोस्टक में 'हाउसहोल्ड एंड स्माल इस्टेबलिशमेंट' अर्थात (हाउसहोल्ड एंड स्माल इस्टेबेलिसमेंट) अर्हता के बाद लगाया जाए। आतिथ्य सत्कार उद्योग के लिए कार्य-भूमिकाओं के साथ प्रगति पथ अलग किया जाए।

(ख) <u>जनरल हाउस कीपर:</u> कोस्टक में 'हाउसहोल्ड एंड स्माल इस्टेबलिशमेंट' शब्द अर्थात (हाउसहोल्ड एंड स्माल इस्टेबेलिसमेंट) अर्हता के बाद लगाया जाए। आतिथ्य सत्कार उद्योग के लिए कार्य-भूमिकाओं के साथ प्रगति पथ अलग किया जाए।

(ग) <u>चाइल्ड केयरटेकर (नॉन-क्लिनिकल):</u> व्यवसाय और प्रगति में परिवर्तन कर उसे स्वास्थ्य संबंधी भूमिकाओं से अलग किया जाए।

(घ) <u>एल्डेरली केयर टेकर (नॉन-क्लिनिकल):</u> व्यवसाय और प्रगति में परिवर्तन कर उसे स्वास्थ्य संबंधी भूमिकाओं से अलग किया जाए।

11. **<u>ऑटोमोटिव स्किल डेवलेपमेंट काउंसिल (एएसडीसी)</u>** ऑटोमोटिव सेक्टर की पांच संशोधित अर्हताएं (परिवर्तनों के साथ) और एक नई अर्हता अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। नई अर्हता 'ऑटोमोटिव एसेम्बली आपरेटर' और चार संशोधित

अर्हताओं, 'ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन एसिसटेंट', 'ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन टेक्निशियन' 'ऑटोमोटिव क्वालिटी कंट्रोल एसिसटेंट' और 'ऑटोमोटिव मेनटेनेंस टेक्निशियन - इलेक्ट्रिकल' को अनुमोदन प्रदान किया गया था। एक संशोधित अर्हता 'ऑटोमोटिव सेल्स कॉलर' को 21 उद्योग वैधताएं प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित किया गया था।

12. <u>**अतिरिक्त निर्णय**</u>

(क) **<u>नॉनकोर एनओएस का अनुमोदन:</u>** यह निर्णय लिया गया था कि एनसीवीईटी को सामान्य नॉनकोर एनओएस (जैसे साफ्ट स्किल्स, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लिट्रेसी आदि) विकसित करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिसे एनक्यूआर पर लिया जा सकता है और जिसे विस्तारित क्यूपी के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए उनके अनुमोदित क्यूपी के साथ मिलाने के लिए अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है और जिसके लिए उन्हें पुन: अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के पास आने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) **<u>मार्च, 2021 में समाप्त होने वाली अर्हताओं का विस्तार प्रदान करना:</u>** समिति के समक्ष यह उल्लेख किया गया था कि सरकारी योजनाओं के तहत संचालित की जा रही 1857 एनएसक्यूएफ के अनुरूप अर्हताओं (ईईई की 6 एनओएस सहित) की वैधता 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त ये अर्हताएं संशोधन के लिए काफी समय से देय थी और उन्हें पहले ही पूर्व की एनएसडीए के तहत आयोजित विभिन्न एनएसक्यूसी में दो बार विस्तार प्रदान कर दिया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए समिति ने 30 सितंबर, 2021 तक छह माह के लिए एकबारगी विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान किया। एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा दी गई अर्हताओं को वही विस्तार प्रदान किए जाने तथा छह माह की अवधि के लिए दिए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस अवधि के भीतर संबंधित अवार्ड करने वाले निकायों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के इन अर्हताओं के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ये विस्तार छह माह की अवधि में किसी संशोधन के बिना अर्हताओं को दिया जाता है तो फिर यह विस्तार इन अर्हताओं पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा, यदि वे एससीपीडब्ल्यूडी से लिए गए हों। तथापि, यदि अर्हताएं मूल अवार्ड करने वाले निकाय

द्वारा संशोधित की गई हैं तो फिर एससीपीडब्ल्यूडी को अर्हता के अनुमोदन की तारीख से छह माह के भीतर अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी को ली गई संशोधित अर्हता प्रस्तुत करनी होगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

ANNEXURE-I

List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members

1. Shri Praveen Kumar, Chairman, NCVET & Secretary, MSDE
2. Mr. Atul Kr. Tiwari , Addl. Secretary , MSDE
3. Ms. Neelam Shami Rao, Director General, DGT
4. Ms. Anuradha Vemuri, EM-NCVET and JS &CVO, MSDE
5. Mr. Shakil Alam , Economic Adviser, MSDE
6. Shri. P P Gupta , Director, Dept of School Education
7. Shri Anil Kumar Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Health and Family Welfare
8. Shri Saurabh Kumar Dubey, Director (RS)
9. Dr. Neetu Bhagat, Director, AICTE
10. Ms. Manju Singh, JS-UGC
11. Mr. Subu Tabin, Director-SDE, Govt. of Arunachal Pradesh
12. Ms Shimla Meena, Asst. Director, MSME

Sectoral Representatives/Submitting Bodies

1. Mr. Murthy, CSTARI, Kolkata
2. Mr. N.Ramesh Babu , OSD toSecy,MSDE
3. Dr. Swarna V Kanth, Principal Scientist, CLRI
4. Ms. Nidhi Rawat, Head Assessment & Certification (DDUGKY), MoRD
5. Mr. Arindam Lahiri, ASDC
6. Ms. Mona Gupta, CEO, Domestic Worker SSC
7. Mr. Ravindra Singh, CEO, SCPwD
8. Mr. Sumit Garg, Head & Standards, Domestic Worker SSC
9. Dr. Niharika Nigam, SCPwD

NCVET Officials

1. Ms. Vinita Aggarwal, Consulting Advisor, NCVET
2. Col. Santosh Kumar, Director, NCVET
3. Lt. Col. Gunjan Chowdhary, Director, NCVET
4. Mr.Sushil Agarwal, Director, NCVET
5. Mr. Narendra Singh, Director, NCVET
6. Ms.Sarika Dixit, Consultant, NCVET
7. Mr. Shourya Sangam , Consultant, NCVET
8. Ms. Tanavi Singh, Consultant, NCVET
9. Mr.Lav Bhardwaj, Consultant, NCVET
10. Mr.Sourabh Kulparia, Consultant, NCVET
11. Ms.Shubhi Mathur, Consultant, NCVET
12. Mr.Anuj Gupta, Consultant, NCVET
13. Mr.Sumit Kumar, Consultant, NCVET
14. Mr. Shuvadeep Ray, Consultant, NCVET

ANNEXURE - II (A)

Status of Conditionally Approved Files from 6th NSQC

Submitting Body: DGT

S. No	Submitting Body	No of Files	Name of the Qualification/ Job Role	Compliances
1.	DGT	1	CNC Wood Working and Machining Operator	Compliance Completed

Submitting Body: Skill Council for Persons with Disability (74 New Qualifications)
Sector: Multi-Sectoral

S. No	Originating Sector	Job Role	NSQF Level	Status of Approval
1.	Food	Pickle Making Technician-PwD LD	4	Compliance pending
2.		Pickle Making Technician-PwD SHI	4	Compliance pending
3.		Pickle Making Technician-PwD LV	4	Compliance pending
4.		Baking Technician-PwD LD	4	Compliance pending
5.		Baking Technician-PwD SHI	4	Compliance pending
6.		Plant biscuit production specialist-PwD LD	4	Compliance pending
7.		Plant biscuit production specialist-PwD SHI	4	Compliance pending
8.		Plant biscuit production specialist-PwD LV	4	Compliance pending
9.		Jam Jelly & Ketchup Processing Technician-PwD LD	4	Compliance pending
10.		Jam Jelly & Ketchup Processing Technician-PwD SHI	4	Compliance pending
11.		Jam Jelly & Ketchup Processing Technician-PwD LV	4	Compliance pending
12.	Furniture	Lead Assembler Modular Furniture- PwD SHI	4	Compliance pending
13.	Media	Make -up Artist-PwD LD	4	Compliance pending
14.		Make -up Artist-PwD SHI	4	Compliance pending
15.		Hairdresser-PwD LD	4	Compliance pending
16.		Hairdresser-PwD SHI	4	Compliance pending
17.		Animator-PwD LD	4	Compliance pending
18.		Animator-PwD SHI	4	Compliance pending
19.	Textile	Hank Dyer-PwD SHI	3	Compliance pending
20.		Two shaft Handloom Weaver-PwD SHI	4	Compliance pending
21.		Warper-PwD SHI	3	Compliance pending
22.	Construction	Assistant Electrician-PwD LD	3	Compliance pending
23.		Mason Marble, Granite & Stone-PwD LD	4	Compliance pending
24.	Domestic Workers	Housekeeper cum Cook-PwD LD	3	Compliance pending

25.	Healthcare	Diet Assistant-PwD LD	4	Compliance pending
26.	Handicrafts	Bamboo Utility Handicraft Assembler-PwDLD	3	Compliance pending
27.		Bamboo Utility Handicraft Assembler-PwD SHI	3	Compliance pending
28.		Handloom Weaver (Carpets)-PwD SHI	3	Compliance pending
29.		Bamboo Basket Maker-PwD LD	3	Compliance pending
30.		Bamboo Basket Maker-PwD SHI	3	Compliance pending
31.		Bamboo Basket Maker-PwD LV	3	Compliance pending
32.		Bamboo Basket Maker-PwD VI	3	Compliance pending
33.		Casting Operator (Metal Handicrafts)-PwD LD	4	Compliance pending
34.		Casting Operator (Ceramics)-PwD LD	4	Compliance pending
35.		Handmade Bamboo Agarbatti Stick Making-PwD LD	3	Compliance pending

Type of Disabilities:

(i) LD- Locomotors Disability
(ii) LV- Low Vision
(iii) SHI- Speech & Hearing Impairment and
(iv) VI- Visual Impairment

Annexure-II (B)

LIST OF DGT QUALIFICATIONS CONCURRED BY MoHFW

S. No	Qualification Name	Occupation	Entry requirements	Notional hours	Proposed NSQF level	Progression Pathway	Line Ministry Concurrence
1	Health Sanitary Inspector-CTS	Sanitary Inspector	Passed 10th class examination. Minimum age 14yearsas on first day of academic session.	1600	4	Professional • Food/ Sanitary Inspector • Senior sanitary Inspector • Sanitary Superintendent • Manager • Entrepreneur Academic • ATS, CITS • Diploma/Advance Diploma (Vocational)	Yes
2	Old Age Care-CTS	Home Based Personal Care Workers, Other	Passed 10th Class Examination. Minimum age 14 years as on first day of academic session.	1600	4	Professional • Geriatric Care Assistant • Geriatric Care Supervisor • Geriatric Care Manager • Entrepreneur Academic • ATS, CITS • Diploma/Advance Diploma (Vocational)	Yes
3	Health Safety & Environment-CTS	(i) Occupational Health and Safety Specialist (ii) Environmental Compliance Inspector	a. Passed class 10 Examination. b. The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm- Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course. Minimum age 14yearsas on first day of academic session	1600	4	• Professional • Health & Safety Assistant • Safety Supervisor • Safety officer • Manager • Entrepreneur Academic • ATS, CITS • Diploma/Advance Diploma (Vocational)	Yes

CONSOLIDATED STATEMENT OF APPROVAL STATUS OF QFs IN THE 7th NSQC

CENTRAL MINISTRIES						
S. No	Name of the Submitting Body	New Files	Rationalized Files	Revised Files	Files for NSQC consideration	Approval Status
1	DGT	2	-	-	2	1 Approved and 1 Conditionally Approved
2	CSIR-CLRI	7	-	-	7	1 Approved and 6 Conditionally Approved
	Sub-Total	**9**	-	-	**9**	
Sector Skill Councils						
S. No	**Name of the Submitting Body**	**New Files**	**Rationalized Files**	**Revised Files**	**Files for NSQC consideration**	**Approval Status**
1	Domestic Worker SSC	-		4	4	4 Conditionally Approved
2	Automotive Skill Development Council (ASDC)	1	-	5	2	5 Approved and 1 Conditionally Approved revised Qualification
	Sub-Total	**1**	-	**5**	**6**	
	Grand Total	**10**	-	**09**	**19**	7 Approved and 12 Conditionally Approved

Annexure-III (B)

Status of Qualification Files Placed for Approval in 7th NSQC

Central Ministries

a) Submitting Body: DGT (2 New Qualifications), Sector-BFSI & Capital Goods

SL No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
(i)	Finance Assistant (ATS)	4	Approved
(ii)	Armour Welder (ATS)	4	Conditionally Approved

b) Submitting Body: CSIR-CLRI (7 New Qualifications) Sector- Leather

SL No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
(i)	Post Graduate Diploma Programme in Leather Products Technology	6	Approved
(ii)	Short Term Executive Training Programme on Occupational Health and Safety for Leather and Allied Industries	5	Conditionally Approved
(iii)	Short Term Executive Training Programme on Testing and Calibration for Leather Sector	5	Conditionally Approved
(iv)	Short Term Executive Training Programme on Waste Management for Leather Sector	5	Conditionally Approved
(v)	Skill Training Programme in Leather and Leather-like materials and their Products Manufacture	5	Conditionally Approved
(vi)	Short Term Executive Skill Development Program in Leather Upholstery Manufacture	5	Conditionally Approved
(vii)	Short Term Executive Skill Development Programme in Cleaner Leather Production	5	Conditionally Approved

Sector Skill Councils

(a) Submitting Body: Domestic Worker SSC (4 revised QFs), Sector: Domestic Worker

SL No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
(i)	Housekeeper cum Cook	3	Conditionally Approved
(ii)	General Housekeeper	3	Conditionally Approved

(iii)	Child Caretaker (Non Clinical)	3	Conditionally Approved
(iv)	Elderly care (non clinical)	3	Conditionally Approved

(b) Submitting Body: Automotive Skill Development Council (1 New & 5 Revised QFs), Sector: Automotive

SL No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
(i)	Automotive Sales Tele caller	4	Conditionally Approved
(ii)	Automotive Welding Machine Assistant	2	Approved
(iii)	Automotive Welding Machine Technician	4	Approved
(iv)	Automotive Assembly Operator	3	Approved
(v)	Automotive Quality Control Assistant	3	Approved
(vi)	Automotive Maintenance Technician- Electrical	4	Approved

****